संख्या-61/2018/763/26-3-2018-2(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 मार्च 2018

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के योजनान्तर्गत पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज संचालित किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्र संख्या-448/63/ज.जा.वि./स्मार्ट क्लासेज/2017-18, दिनांक-13.02.2018 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना/संचालित किये जाने हेतु बिजनेस डेवलपमेन्ट एडिसिल (इण्डिया) लि0 (भारत सरकार का उद्यम) नोएडा, उ0प्र0 द्वारा आगणन के अनुसार 08 पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों-छाउछ लखीमपुरखीरी, चन्दनचौकी लखीमपुरखीरी, बेलापरसुआ लखीमपुरखीरी, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर, बालापुर बलरामपुर, सिरसिया श्रावास्ती, नौतनवा महराजगंज एवं नजीबाबाद बिजनौर में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''4225-02-796-06-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रति विद्यालय रू0-461114/- (रू0चार लाख इकसठ हजार एक सौ चौदह मात्र) की दर से कुल 08 विद्यालयों हेतु धनराशि रू0-3688912/- (छत्तीस लाख अट्ठासी हजार नौ सौ बारह मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों और सेवाओं पर व्यय के लिये न किया जाय।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि से विद्यालय के उपयोगार्थ सामग्री एवं सम्पूर्ति आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं स्टोरपर्चेजरूल के तहत किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017,दिनांक-03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-61/2018/763(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी बलरामपुर, श्रावास्ती, बिजनौर, महराजगंज
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8. निदेशक, एन0आई0सी0
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।